



Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004865/FNOC/COL/2022/2371

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 14, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 16-Mar-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : CEYONE RAY INTERNATIONAL SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : WARD 13 CHHIPABAD, TEH KHIRKIYA CHHIPABAD, 461441

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊँचाई / Building Height : 10 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 8104 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : WARD 13 CHHIPABAD, TEH KHIRKIYA KHIRKIYA NAGAR
PARISHAD

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100004865 भवन हेतु प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग

क्र./सं.सं./ अ.स.एन.ओ.सी./2022/135 भोपाल, दिनांक 16.03.2022

प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन क्र./ तिथि : 6100004865/14.03.2022

आवेदक का नाम एवं पता : सियोन रे इंटरनेशनल स्कूल, पता:- वार्ड क्र. 13 चिपाबद, नगर परिषद खिरकिया

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार : प्रोविजनल

अधिभोग का प्रकार : संस्थागत भवन, भवन क्षेत्रफल 1602.22 वर्ग मीटर ऊँचाई 10 मीटर

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन के परीक्षण उपरांत आवेदक को निम्नलिखित प्रावधानों व शर्तों के अंतर्गत "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" किया जाता है।

सचिव

एकता शिक्षा समिति
छीपाबड़, जिला-हरदा



Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004865/FNOC/COL/2022/2371

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 14, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 16-Mar-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : CEYONE RAY INTERNATIONAL SCHOOL

1. निम्नांकित आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण स्थापित करना अनिवार्य होगा।

- (1) Access.
- (2) Wet Riser.
- (3) Down Comer.
- (4) Hose Reel.
- (5) Automatic Sprinkler System.
- (6) Yard Hydrant.
- (7) U.G. Tank with Draw off Connection.
- (8) Terrace Tanks.
- (9) Fire Pump.
- (10) Terrace Pump.
- (11) First Aid Fire Fighting Appliances.
- (12) Pressurization System.
- (13) Auto Detection System.
- (14) Manual operated Electrical Fire Alarm System.
- (15) P.A. System with talk back facility.
- (16) Emergency Light.
- (17) Auto D.G. Set.
- (18) Illuminated Exit Sign.
- (19) Means of Escape.
- (20) Compartmentation.
- (21) MCB/ELCB.
- (22) Fireman Switch in Lift.
- (23) Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.
- (24) Refuge Area

2. उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस.आई. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

सचिव
एकता शिक्षा समिति
छीपाबड़, जिला-हरदा



Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004865/FNOC/COL/2022/2371

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 14, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 16-Mar-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : CEYONE RAY INTERNATIONAL SCHOOL

3. नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में चिन्हित परिसंचरण मार्ग वाहन आवागमन हेतु बाधारहित रखना अनिवार्य होगा।
4. भूमि विकास अधिनियम 2012 में अग्नि सुरक्षा के लिये आवासीय/व्यवसायिक/शैक्षणिक/औद्योगिक परिसर हेतु उल्लेखित प्रावधान/नियमों एवं एम.ओ.एस. का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
5. निर्मित भवन/व्यवसायिक भवन /औद्योगिक भवन परिसर में अग्नि शमन सुरक्षा हेतु नियुक्त व्यक्ति/कर्मों को अग्नि सुरक्षा सम्बंधी प्राथमिक उपाय एवं फायर सिस्टम के संचालन का प्रशिक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।
6. अग्नि सुरक्षा सम्बंधी उपाय/उपकरण स्थापित किये जाने के उपरांत अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय से निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/ उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 01 वर्ष की अवधि जो कम हो हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में फायर उपकरण स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।
9. फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 एवं नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा जारी मार्गदर्शिका अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।
10. अग्नि दुर्घटना की स्थिति से निपटने हेतु आपातकालीन सीढ़ी (Emergency-Exit) का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करें।
11. निर्मित भवन की स्थिति में प्रोविजनल फायर अनापत्ति जारी होने के उपरांत फायर उपकरण स्थापित करने के दौरान अथवा विलंब की स्थिति में किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
12. आवेदक को प्रोविजनल फायर एन.ओ.सी. में प्रस्तावित फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण कार्य पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि शमन प्राधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण करने के उपरांत वैधानिक रूप से आवश्यक " अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके। तदोपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा।
13. आवेदक द्वारा स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा विभाग द्वारा प्रदाय प्रोविजनल एन.ओ.सी. स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।


एकता शिक्षा समिति
छोपाबड, जिला-हरदो



Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004865/FNOC/COL/2022/2371

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 14, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 16-Mar-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : CEYONE RAY INTERNATIONAL SCHOOL

14. अनापत्ति जारी होने के उपरांत प्रतिवर्ष फायर ऑडिट कराया जाकर ऑडिट रिपोर्ट अग्नि शमन प्राधिकारी के कार्यालय प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

15. फायर अनापत्ति जारी किये जाने के उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों/ अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

16. आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र एवं अभिलेखों के परीक्षण आधार पर फायर अनापत्ति जारी की जाती है। किसी भी प्रकार के भूस्वामित्व/दस्तावेज के सम्बंध में शासकीय/अशासकीय वाद-विवाद की स्थिति में जारी फायर अनुज्ञा निरस्त मानी जावेगी।

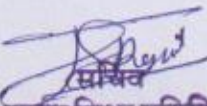
**SURESH
KUMAR
BALIYA**

Digitally signed by SURESH KUMAR
BALIYA
DN: c=IN, o=Personal,
pseudonym=bf80550cf985583cbd0f37eef
3f4798cc9d682e8e3525c8f776737f80b312
e7, postalCode=462026, st=MADHYA
PRADESH,
serialNumber=e61772d7a2a45fa2c5bb274
0f297f12d20d59c02ee9038e8defca4ad58d
76c23, cn=SURESH KUMAR BALIYA
Date: 2022.03.16 14:06:22 +05'30'

Joint Director/Fire Officer BHOPAL

BHOPAL Division , BHOPAL

Madhya Pradesh


सचिव
एकता शिक्षा समिति
छीपाबाड़, जिला-हरदा


PRINCIPAL
CEYONE RAY INTERNATIONAL
SCHOOL, CHHIPABAD (MP)